न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

प्रार्थना पत्र संख्या :– 02/2021

उनवान

1. विशाल शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं0 105 मनोहरपुर तहसील शाहपुरा

प्राथीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर

~~अप्रार्थीगण~~

उपस्थित 1 श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत अधिवक्ता प्रार्थी

2. पैरोकार सरकार अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट दुरूस्ती इन्द्राज</u>

आदेश दिनांक 17/02/2021

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत पेश किया गया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1242 रकबा 0.03 है0, 275 रकबा 0.22 है0, 277 रकबा 0.50 है0, 280 रकबा 0.41 है0, 281 रकबा 0.01 है0, 282 रकबा 0.05 है0, 283 रकबा 0.50 है0, 286 रकबा 0.34 है0, 287 रकबा 0.47 है0, 305 रकबा 0.04 है0, 306 रकबा 0.21 है0, 307 रकबा 0.13 है0, 309 रकबा 0.03है0, 310 रकबा 0.19 है0, 311 रकबा 0.08है0, 312 रकबा 0.06है0, 314 रकबा 0.15 है0, 315 रकबा 0.05 है0, 316 रकबा 0.15 है0, 317 रकबा 0.18 है0, 318 रकबा 0.10 है0, 319 रकबा 0.15 है0, 320 रकबा 0.10 है0, 321 रकबा 0.39 है0, 322 रकबा 0.08 है0, 327 रकबा 0.18 है0 , 328 रकबा 0.05है0, 331 रकबा 0.10है0, 334 रकबा 0.22 है0, 335 रकबा 0.57 है0 कुल किता 31 रकबा 5.77 है0 वाके ग्राम मनोहरपुर तहसील शाहपुरा मे स्थित है जिसका प्रार्थी का 1/45 हिस्सा है। प्रार्थी का लोक दस्तावेजात अनुसार व शिक्षा अनुसार नाम विशाल शर्मा है जबकि घर का बोलता नाम सतीश है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में सतीश दर्ज होने तथा सरकारी दस्तावेज में विशाल होने से सरकारी सहायता ऋण व सहकारिता विभाग के लाभ से वंचित होना पड रहा है जिस कारण प्रार्थी का नाम सतीश की जगह विशाल दर्ज किया जावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से अपने पत्र कमाक भू0अ0/2021/ 598 दिनांक 5.2.2021 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर का प्रार्थी का बोलता नाम सतीश है तथा प्रार्थी का दादा मदनलाल के फौत होने पर प्रार्थी के ताउ मोहनलाल पुत्र मदनलाल ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें वादी/प्रार्थी का नाम सतीश पुत्र दिनेश लिखा था, जिसके आधार पर वादी का नाम सतीश दर्ज कर दिया गया था तथा सरकारी दस्तावेज वोटर आई कार्ड आधार कार्ड , आय कार्ड आदि में विशाल नाम दर्ज है । वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में भी इस ओर ध्यान दिलाया कि उक्त नाम गलत दर्ज होने से सरकारी योजनाओं के लाभ व अन्य कार्य में कठिनाई आ रही है जबकि वास्तव नागरमल व हरिकिशन दोनों एक ही व्यक्ति है। अप्रार्थीगण की ओर से श्री मुरलीधर पुत्र रामदासन व नेहा पुत्री दिनेश भी उपस्थित आये जो कि सह खातेदार भी है जिन्होने जाहिर किया प्रार्थी का नाम विशाल ही है घर में बोलचाल में सतीश भी कहते है लेकिन सरकारी दस्तावेज में विशाल ही नाम है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेज व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी का नाम सरकारी दस्तावेज राशन कार्ड, पहचान पत्र आधार कार्ड आदि में विशाल पुत्र दिनेश शर्मा है तथा राजस्व रिकार्ड में सतीश दर्ज है । प्रार्थी का सरकारी दस्तावेज मे नाम विशाल होने से राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि हाल आराजी 1242 रकबा 0.03 है0, 275 रकबा 0.22 है0, 277 रकबा 0.50 है0, 280 रकबा 0.41 है0, 281 रकबा 0.01 है0, 282 रकबा 0.05 है0, 283 रकबा 0.50 है0, 286 रकबा 0.34 है0, 287 रकबा 0.47 है0, 305 रकबा 0.04 है0, 306 रकबा 0.21 है0, 307 रकबा 0.13 है0, 309 रकबा 0.03है0, 310 रकबा 0.19 है0, 311 रकबा 0.08है0, 312 रकबा 0.06है0, 314 रकबा 0.15 है0, 315 रकबा 0.05 है0, 316 रकबा 0.15 है0, 317 रकबा 0.18 है0, 318 रकबा 0.10 है0, 319 रकबा 0.15 है0, 320 रकबा 0.10 है0, 321 रकबा 0.39 है0, 322 रकबा 0.08 है0, 327 रकबा 0.18 है0 , 328 रकबा 0.05है0, 331 रकबा 0.10है0, 334 रकबा 0.22 है0, 335 रकबा 0.57 है0 कुल किता 31 रकबा 5.77 है0 वाके ग्राम मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के राजस्व रिकार्ड में सतीश पुत्र दिनेश के स्थान पर विशाल उर्फ सतीश पुत्र दिनेश जाति ब्राहमण निवासी मनोहरपुर के नाम दुरूस्ती करने के तहसीलदार शाहपुरा को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे ।

निर्णय आज दिनांक 17/02/2021 को सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा
जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर